



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1692 / SEIAA/2022

Date: 23-9-22

प्रति,

मेसर्स प्रोगाल्ड माईनिंग एण्ड ठन्फ्रा प्रा.लि.

संचालक देवेश बिदुआ,

आत्मज श्री पुरुशोत्तम दास बिदुआ

निवासी एफ-4 प्लाट न. -13, यूको बैंक बिल्डिंग ,

दूरसंचार नगर ई-8 गुलमोहर भोपाल (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 9289/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मीनू यादव पत्नि श्री गोविन्द सिंह यादव, निवासी सी-55 पदनाम नागर, रायसेन रोड जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 92/1 रकबा 270 हेक्टेयर, ग्राम, कोलूखेडी तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, मेसर्स प्रोगाल्ड माईनिंग एण्ड ठन्फ्रा प्रा.लि. संचालक देवेश बिदुआ आत्मज श्री पुरुशोत्तम दास बिदुआ निवासी एफ-4 प्लाट न. -13, यूको बैंक बिल्डिंग , दूरसंचार नगर ई-8 गुलमोहर भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण में स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 747 वी बैठक दिनांक 14.09.2022 विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान की वैधता समाप्त हो गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। नवीन परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत खनन योजना की वैधता समाप्त हो गई है। अतः नवीन अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1693 /SEIAA/2022

दिनांक - 23-9-22

प्रतिलिपि:-

1. जिला खनिज अधिकारी, जिला - भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी